



राजस्थान-सरकार  
निदेशालय संस्कृतशिक्षा राजस्थान जयपुर  
द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर  
☎: 0141-2704357 📠: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदयजी द्वारा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल का दिनांक 21.10.2020 को विधिवत उद्घाटन कर पोर्टल पर कार्मिकों/शिक्षकों के ऑनलाइन कार्यग्रहण/कार्यमुक्त शुरू करते हुए संस्थापन (कार्मिकों/शिक्षकों), विद्यालयों एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ पोर्टल पर तत्समय अपडेट रहे एवं पोर्टल पर स्टाफ कॉर्नर/विंडो सहित सामान्य शिक्षा विभाग के अनुरूप ही संस्कृत शिक्षा विभाग का शाला दर्पण पोर्टल भी अपडेट करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए समस्त विभागीय अनुभाग प्रभारी/अधिकारी, शैक्षणिक अनुभाग/अधिकारी, सांख्यिकी अनुभाग/अधिकारी, लेखा, संस्थापन अधिकारी, शैक्षणिक अधिकारी, उपनिरीक्षक, संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक एसएसआईआईआरटी, प्राचार्य राजकीय एस.टी.सी. एवं समस्त संस्था प्रधान राजकीय संस्कृत विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए गये थे।

श्रीमान उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) संस्कृत शिक्षा विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.2021 गुरुवार को प्रातः 11:15 बजे निदेशालय में उपरोक्त निर्देशों की पालनार्थ (सामान्य शिक्षा के अनुरूप ही विभाग का शाला दर्पण पोर्टल संधारण एवं संचालन के संबंध में) किये गए कार्यों की समीक्षा के संबंध में श्रीमान निदेशक महोदय के कक्ष में आयोजित मीटिंग में निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे:-


1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. तकनीकी निदेशक एनआईसी जयपुर।
3. उपनिदेशक शाला दर्पण सामान्य शिक्षा विभाग जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय जयपुर,
6. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय अजमेर
7. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय जोधपुर
8. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय भरतपुर
9. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय कोटा
10. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय उदयपुर
11. संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संभागीय कार्यालय बीकानेर संभाग चुरू
12. संस्थापन अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
13. शैक्षणिक अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
14. सांख्यिकी अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
15. उप निरीक्षक-1 निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
16. उप निरीक्षक-2 निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
17. सहायक उप निरीक्षक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।

बैठक में शाला दर्पण पोर्टल के सामान्य शिक्षा विभाग के अनुरूप (Equivalent) ही संधारण एवं संचालन के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर निम्नलिखित कार्यों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए।

1. शाला दर्पण पोर्टल पर स्वीकृत पदानुसार समस्त कार्मिकों/शिक्षकों की मेपिंग कर इनका ऑनलाइन ही कार्यमुक्त एवं कार्यग्रहण करते हुए स्टाफ विण्डो शुरू कर शिक्षकों/कार्मिकों के समस्त कार्य/समस्याओं यथा उपस्थिति, अवकाश निस्तारण, ए.सी.पी. स्थानान्तरण सहित समस्त कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन ही की जावें।
2. विभाग द्वारा कार्मिकों/शिक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन संधारण के लिए एवं 2017 से पूर्व नियुक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों का विभागीय नियमानुसार पोर्टल द्वारा ही लेवल व विषय निर्धारण के लिए पूर्व में क्रमशः प्रपत्र-2 व 3 लागू किये गये थे उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा कार्मिकों से संबंधित विस्तृत विवरण प्रपत्र-10 लागू किया जा रहा है। अतः प्रपत्र-2 व 3 को पोर्टल से हटाने तथा प्रपत्र-3ए से संबंधित कार्मिकों/शिक्षकों की जानकारी को प्रपत्र-2 व 3 से लेते हुए उन्हें प्रपत्र-10 में लॉक किया जाकर प्रपत्र-10 संबंधित संकुल प्रभारी के शाला दर्पण लॉगइन से कार्मिकों/शिक्षकों के सेवाभिलेख से प्रमाणिकरण उपरान्त संधारण/अपडेट किया जावें।
3. सभी संभागीय अधिकारियों, प्राचार्य राजकीय एस.टी.सी. एवं उपनिदेशक, एस.एस.आई.ई.आर.टी. को निर्देशित किया जावें कि शाला दर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालय, विद्यार्थी एवं कार्मिक यथा समय अपडेट रहें/इनसे संबंधित सूचनाएँ जो कि पोर्टल पर ऑनलाइन कि जा रही है कि प्रभावी मॉनिटरिंग करें ताकि तय समय में विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को पूर्ण किया जा सकें।

SM

4. संकुल प्रभारियों/डी.डी.ओं. द्वारा कार्मिकों/शिक्षकों की अप्रमाणित/गलत सूचनाएँ शाला दर्पण पॉर्टल पर संधारण करने एवं संधागीय अधिकारियों द्वारा शाला दर्पण पॉर्टल की प्रभावी मॉनिटरिंग नही करने पर अथवा विभाग द्वारा कार्मिकों/शिक्षकों, विद्यालयों एवं विद्यार्थियों के संबंध में पॉर्टल पर दी जा रही ऑनलाइन जानकारी में गडबडी पाये जाने/विलंब करने पर इनके विरुद्ध कारण बताओं नोटिस जारी कर विभागीय अनुशासनात्मक कठोर कार्यवाही करने के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण तुरन्त प्रेषित करें।
5. शाला दर्पण पॉर्टल के संधागीय ऑफिस लॉगइन आई.डी. पर प्रपत्र-3ए से संबंधित कार्मिकों/शिक्षकों की जानकारी में आवश्यक संशोधन करने के लिए संधागीय अधिकारियों को अधिकृत/सुविधा प्रदान कर संशोधन हेतु अंतिम अवसर प्रदान करें जिसमें कार्मिका/शिक्षकों का वर्तमान पद, वर्तमान विषय व वर्तमान पदस्थापन लॉक रखा जावे साथ ही संशोधन कार्मिक/शिक्षक के सेवाभिलेख से मिलान कर ही किये जाने के निर्देश जारी करें।
6. सामान्य शिक्षा विभाग के अनुरूप संस्कृत विभाग के विद्यालयों की शाला दर्पण पॉर्टल से संबंधित समस्याओं का भी ऑनलाइन निस्तारण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
7. शाला दर्पण पॉर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक सूचना को ही ऑफलाइन ली जावे तथा विभागीय अनुभागों द्वारा विद्यालयों, विद्यार्थियों व कार्मिकों/शिक्षकों के संबंध में निरन्तर आवश्यक सूचनाओं को शाला दर्पण पॉर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन ली जावे। इस हेतु आवश्यक जानकारी से संबंधित प्रारूप व उसका फ्लो/ट्रेक बनाकर शाला दर्पण प्रकोष्ठ संस्कृत शिक्षा को उपलब्ध करावे एवं प्रकोष्ठ उक्त सूचनाओं को पॉर्टल पर ऑनलाइन संधारण के लिए आवश्यक कार्यवाही करावे। साथ ही संबंधित विभागीय अनुभाग उपरोक्त ऑनलाइन सूचना की पॉर्टल पर टेस्टिंग एवं किए जा रहे ऑनलाइन अपडेशन की मॉनिटरिंग/संधारण के लिए अपना प्रभारी (ली जाने वाली सूचना से संबंधित कार्य देख रहे विभागीय अनुभाग प्रभारी को) नियुक्त करें।
8. पॉर्टल पर ऑनलाइन सूचना उपलब्ध होने के बावजूद निदेशालय स्तर पर या संधागीय स्तर पर या संकुल स्तर पर समानान्तर ऑफलाइन सूचना नही ली जावे। अतिआवश्यक होने पर ही ऑफलाइन सूचना ली जावे।
9. सामान्य शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पॉर्टल के संबंध में आयोजित वी.सी./ऑनलाइन प्रशिक्षण में विभाग के संकुल प्रभारियों/डी.डी.ओ. एवं संधागीय अधिकारियों को शामिल कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाई जावे।
10. विभाग एवं विभागाधीन कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले समस्त आदेशों में कार्मिकों की एम्प्लोय आई.डी. एवं विद्यालयों के संबंध में उनकी स्कूल एन.आई.सी. आई.डी. का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जावे। ताकि शाला दर्पण पॉर्टल पर डेटा संधारण/मॉनिटरिंग की जा सके।
11. एन.आई.सी. से निदेशालय एवं 7 संधागीय कार्यालय, राजकीय एस.टी.सी. एवं एस.एस.आई.आर.टी. के ऑफिस लॉगइन क्रियेट की करवाई जावे। तदुपरान्त सहधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।




(आर.एन.शर्मा)

शासन उपसचिव

संस्कृत शिक्षा विभाग शासन सचिवालय,  
जयपुर।

क्रमांक:-निसंशि/प.1/शाला दर्पण प्रकोष्ठ/2019 पार्ट-II/ 8864-85 दिनांक :- 08-03-2021  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग (अतिरिक्त प्रभार) राजस्थान सरकार।
3. निजि सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजि सहायक, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) शासन सचिवालय, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक एनआईसी जयपुर।
6. उपनिदेशक शाला दर्पण सामान्य शिक्षा विभाग जयपुर।
7. सहायक निदेशक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
9. समस्त संधागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
10. संस्थापन अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
11. शैक्षणिक अधिकारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
12. सांख्यिकी अधिकारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
13. उप निरीक्षक-I व II, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
14. सहायक उप निरीक्षक, निदेशालय संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
15. वेबसाइट प्रभारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित प्रत्रावली।



(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।